परिपत्र संख्या ...21../10

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, "कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/10/ 7182–7631 दिनांकः 22-7-2010

परिपत्र

राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 (वाल्यूम–II) के नियम 60 के अन्तर्गत पंजीयन कार्यालय राज्य सरकार के निर्देशानुसार खुले रखे जाने के क्रम में मुद्रांक एवं पंजीयन मार्गदर्शिका–2009 के परिपत्र क्रमांक 9/09 के बिन्दु संख्या–12 में निर्देश दिये गये हैं कि ***"पंजीयन हेतु दस्तावेज सांयः 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेगें। विशेष परिस्थितियों में सांयः 3.00 बजे बाद भी दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार किया जा सकता है।"***

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा विशेष परिस्थितियों में दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार नहीं किये जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आमजन को कठिनाई होती है।

चूँकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में सरकारी कार्यालयों का समय प्रातः 9.30 से सांयः 6.00 बजे तक निर्धारित है, इसलिये निर्देश दिये जाते हैं कि पंजीयन हेतु दस्तावेज सांयः 3.00 बजे तक की बजाय अब सांयः 5.00 बजे तक प्रस्तुत होने पर उन्हें पंजीयन हेतु स्वीकार किये जा सकेगें तथा विशेष परिस्थितियों में सांयः 5.00 बजे पश्चात् भी दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार किया जा सकता है।

निर्देशों की तत्काल पालना की जावे।

महानिरीक्षक, 22/7
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/10/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

22/7/10
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-Circular-10